09.12.2023

यह प्रकरण आज लोक अदालत में निपटाये जाने हेतु खंडपीठ कमांक 20, सुश्री अदिति अग्रवाल के न्यायालय से, खण्डपीठ कमांक 22, श्रीमती चेतना झारिया, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही हेतु अंतरण किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला रीवा (म.प्र.)

पुनश्चः–

यह प्रकरण आज न्यायालय सुश्री अदिति अग्रवाल खंडपीठ कमांक 20 से, श्रीमती चेतना झारिया, कनिष्ठ खंड न्यायाधीश के न्यायालय से लोक अदालत में निपटाये जाने हेतु इस खंडपीठ कमांक 22 को अंतरण पर प्राप्त होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.2023

परिवादी द्वारा श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय अधिवक्ता उपस्थित।
अभियुक्त अनु.।

प्रकरण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 257 द.प्र.सं. सहपठित धारा 147 पर.लि.अधि. पर विचार हेतु नियत है।

परिवादी सहित अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 147 पर.लि.अधि. का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि परिवादी व आरोपी का आपसी राजीनामा हो गया है। परिवादी प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः राजीनामा के आलोक में प्रकरण की कार्यवाही को समाप्त कर किए जाने का निवेदन किया।

परिवादी से पूछे जाने पर परिवादी ने व्यक्त किया था कि उसका आरोपी से बिना डर, भय, दबाब के न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है और वह परिवाद नहीं चलाना चाहता। परिवादी की पहचान **अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय** द्वारा एवं उसके द्व ारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09.12.2023 व परिवाद पत्र में बने हस्ताक्षरों से की गयी। चूंकि परिवादी राजीनामा के आधार पर अपने परिवाद को स्वयं वापस लेना चाहता है तो यह धारा 257 द.प्र.सं. के

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Si... Pa... Pleade... neces...

प्रावधानानुसार परिवादी को परिवाद वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

वर्तमान प्रकरण में **प्रारंभिक स्तर पर है आरोपी ने न्यायालय के बाहर राजीनामा कर लिया है।** ऐसे में **न्याय दृष्टांत दामोदर एस प्रभु विरूद्ध सैययद बाबा लाल एआईआर 2010, SC 1907** में दिये गये दिशा निर्देश अनुसार समन शुल्क लगाया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

अतः परिवादी को परिवाद के वापस लेने के संबंध में अनुमति प्रदान की गयी। आरोपी **अखिलेश केसरी पिता रविशंकर केसरी** को पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से **दोषमुक्त** किया जाता है।

परिवादी को नियमानुसार उसके द्वारा अदा किए गये न्यायालय शुल्क की वापसी के संबंध में प्रमाण पत्र बनाया जाकर परिवादी को दिया जाये।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सुलहकर्ता सदस्य

श्री अमरजीत कुशवाहा

पीठासीन अधिकारी

(श्रीमती चेतना झारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
एवं पीठासीन अधिकारी नेशनल
लोक अदालत खंडपीठ क0–22
जिला रीवा (म.प्र.)